

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1021

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

**न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु नीति**

**1021. श्री मलूक नागर :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में लंबित सर्वाधिक मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं ; और

(ग) क्या सरकार देश में मामलों के लंबित होने के प्रमुख कारण जैसे न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के रिक्त पदों आदि मुद्दों के समाधान हेतु किसी नीति पर काम कर रही है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**

**( श्री किरेन रीजीजू )**

(क) : न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जाँच के मुद्दे को न्यायपालिका द्वारा ही संबोधित किया जाना है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अधीन एक स्वतंत्र अंग है। 7 मई, 1997 को हुई पूर्ण न्यायालय की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाई गई "आंतरिक प्रक्रिया" के माध्यम से उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही बनाए रखी जाती है। "आंतरिक प्रक्रिया" के अनुसार, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है। इसी तरह, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के

अनुसार, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।

भ्रष्टाचार के अभिकथन के संबंध में प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदनों पर यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, द्वारा उचित कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/प्रतिवेदनों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया जाता है।

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है: -

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	अब तक लम्बित मामले
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	72,062 (01.07.2022)*
2	उच्च न्यायालय	59,45,709 (15.07.2022)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,19,79,353 (15.07.2022)**

स्रोत \*भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट।

\*\*राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली प्रदान करने के लिए कई पहलों को अपनाया है।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-** 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 913.21 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 2,777 न्यायालय हाल और 1,659 आवासीय इकाइयां(एम आई एस डाटा के अधीन) निर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा। न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) **सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन :-** सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों

को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 04.07.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 18.02 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाएँ, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारु बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने ,जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए बीस वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला

न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। 13.06.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 सुनवाई हुई।

**(iii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :-** 01.05.2014 से 15.07.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 619 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
15.07.2022	24,631	19289

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

**(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

**(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के

बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।

**(vi) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़े हुए कर न्यायगमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 363 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए हैं। स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 728 एफटीएससी वर्तमान में 408 अनन्य पाक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 30.06.2022 तक 1,02,344 मामलों का निपटारा किया गया।

**(vii)** इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है।

(ग) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास करते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों की प्रोन्नति और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अतः जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय इसे कतिपय राज्यों में करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं।

केंद्रीय सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में 04 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रक्रिया और समय सीमा विरचित की है जो यह निर्धारित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होता है और उसी वर्ष के 31 अक्टूबर तक समाप्त होता है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर किसी भी कठिनाई के मामले में समय सारणी में बदलाव के लिए अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की। न्याय विभाग समय-समय पर सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार को मलिक मजहर मामले द्वारा अधिदेशित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने में तेजी लाने के लिए लिख रहा है।

\*\*\*\*\*